न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 148 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. छगनकंवर पत्नी देवीसिंह 2. जेठुसिंह पुत्र देवीसिंह 3. डूंगरसिंह पुत्र देवीसिंह 4. हरीसिंह पुत्र देवीसिंह 5. छैलसिंह पुत्र खीमसिंह 6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह 7. जडावकंवर पत्नी खीमसिंह 8. हीरसिंह पुत्र मोडसिंह जातियान राजपूत निवासीयान जीनपुर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह 2. जोगसिंह पुत्र आम्बसिंह 3. भोपालसिंह पुत्र आम्बसिंह 4. सांगसिंह पुत्र आम्बसिंह जातियान राजपूत निवासीयान जीनपुर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 5. राज. राज जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा मोकलसर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 154 / 2021 बअनवान विक्रमसिंह बनाम जोगसिंह में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ललित जांगिड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 277 रकबा 1.2707 हैक्टयर ग्राम मीनपुर तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिस पर खातेदार कदीमी रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी के खातेदारी खेत से ग्राम की आबादी भूमि खसरा संख्या 248 जहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी है तक आवागमन के लिए खसरा संख्या 277 के खातेदारान की विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

संख्या 259 रकबा 0.05261 हैक्टयर एवं विप्रार्थी संख्या 04 से 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 256 रकबा 1.4569 हैक्टयर में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता से होकर गुजरना इकलौता विकल्प है जिसका विगत 100 वर्षों से प्रार्थी पक्ष एवं उनके पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। प्रार्थी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने जानबुझकर विप्रार्थी संख्या 04 से 11 के खेत को खराब करने की नियत से उनके खातेदारी खेत खसरा संख्या 277 से गैर मुमकिन आबादी खसरा संख्या 248 तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 262, 263, 265, 266 व 251 में से सुगम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 281 व 280 की सीमा से दक्षिणी माठ से लगता हुआ अन्य रास्ता भी उपलब्ध है। निरीक्षण भू अभिलेख पादरू ने भी बिना वस्तु स्थिति पर विचार किये प्रार्थी के कहे मुताबिक मौका फर्द में रास्ता प्रस्तावित कर दिया। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने हेतु आपति करने पर उस आपति को निरस्त कर दिया और एकपक्षीय रूप से आवेदन पत्र पर बहस सुने बिना ही उसी दिन मूल प्रार्थना–पत्र को मेरिट पर निस्तारित करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग हेतु श्रीमान तहसीलदार सिवाना को अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का एवं आर आई को मौका रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 154/2021 बअनवान विक्रमसिंह बनाम जोगसिंह में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर